न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 162/2025 (GCMS : 2025/245)

1. **राजसलविन्द्र सिंह** पुत्र श्री सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी 11 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **हरपाल सिंह** पुत्र श्री राजसलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **मोहन सिंह** पुत्र श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी 11 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
2. **उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को रूक रूक कर बार बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी के पास चक 11 ओ''बी'' तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में खाता संख्या 12 मुरब्बा नम्बर 13 में 25 बीघा मुश्तरका (संयुक्त) खाता में दर्ज है। प्रार्थी को खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 16 गुणा 16 फुट रास्ता मंजूर करने का प्रार्थना पत्र एवं जब तक रास्ता मंजूर नही हो जाता, तब तक चालू रास्ता चालू रखे जाने की प्रार्थना की थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राथी के हक में स्थगन जारी कर दिया, मगर अप्रार्थीगण हाजिर होने पर राजनैतिक दबाव डालकर प्रार्थीयान के हक में जारी स्थगन को खारिज करवाने की कोशिश कर रहे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीमान के न्यायालय में मुंतकिल प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के हक में जारी स्थगन खारिज कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीमान् न्यायालय ने पूर्व में आदेश दिनांक 27.11.2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था और अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को स्वयं विवादित सड़क पर मौके पर विजिट कर तीन सप्ताह के अन्दर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रकरण का तीन सप्ताह में निर्णय नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी बार–बार उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश होता रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही कोई निर्णय पारित कर रहे है जबकि रास्ता ना होने के कारण प्रार्थीयान द्वारा फसल काश्त की थी, उसको उठा नहीं सका और फसल खेत में ही खराब हो गयी।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुंतकिली प्रकरण संख्या 162 / 2025
(GCMS No. 2025/245)
राजसलविन्द्र सिंह बनाम मोहन सिंह एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को कहा कि यदि बार बार प्रार्थना पत्र लगाओंगे तो मैं आपका मुकदमा खारिज कर दूंगा, क्योंकि मुझ पर राजनीतिक दबाव है, इसलिए मैं इस प्रकरण में कोई निर्णय नहीं करूंगा, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिल किया जाना आवश्यक हो गया है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 30.06.2025 का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते लम्बित वाद अनवानी हरपाल सिंह बनाम मोहन सिंह को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है तथा प्रकरण माननीय निबंधक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक टीए / निग / 2025 / 5155 / गंगानगर / 10.09.2025 / 8714 दिनांक 24.06.2025 से तलब किया गया है। **इस न्यायलाय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनितिक प्रभाव सम्बन्धी आरोप लगाते हुए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है, अैर प्रकरण निर्णय न करने के आरोप लगाये है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी टिप्पणी दिनांक 30.06.2025 में उक्त विचाराधीन प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा तलब किया जाना बताया है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन होने के कारण, प्रकरण में कोई निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों की पालना में विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। [illegible] प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली [illegible] दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested